

कार्यालय, जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नगर सेना जशपुर (छ0ग0)

—:: अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र ::—

क्रमांक/3142/फायर सर्विस/

जशपुर दिनांक 17.08.2022

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी0के0 मोहन्ती (प्राचार्य) का पतरापाली खरसिया रोड़ जिला रायगढ़ में स्थित डी0ए0वी0 मुख्यमंत्री स्कूल का इस विभाग के कनिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी श्री कमलेश कुमार देशपाण्डे के द्वारा श्री पी0के0 मोहन्ती (प्राचार्य) की उपस्थिति में दिनांक 17.08.2022 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग- IV के अनुसार अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की आवश्यकता संबंधित निरीक्षण किया गया। निम्न शर्तों के अधीन 01 वर्ष अवधि के लिये अग्नि सुरक्षा प्रमाण - पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

- 1- सभी अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण प्रणाली निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के प्रबंधन जवाबदार होगा।
- 2- अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
- 3- अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को संचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाये एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का मॉकड्रिल कर इसका रिकार्ड बनाकर रखा जाए।
- 4- मकान मालिक/कब्जाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
- 5- बेसमेट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जाए।

जारी दिनांक 17.08.2022
18



जिला सेनानी एवं
जिला अग्निशमन अधिकारी
नगर सेना जशपुर (छ.ग.)